

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक _____

पटना, दिनांक _____

ग्रा0मि0-6-बजट/05-03/2017

प्रेषक,

राधाकिशोर झा,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष -2017-18 में मांग संख्या 42 के तहत एस0भी0ई0पी0 (SVEP) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में समेकित रूप से विमुक्त राशि ₹0 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख) में से सामान्य मद के लिए कर्णांकित राशि ₹0 54.00 लाख (चाँवन लाख) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹0 36.00 लाख (छत्तीस लाख) के विरुद्ध एन0आर0एल0एम0 योजना के सामान्य मद के लिए संशोधित बजट उपबंधित राज्यांश की राशि में से उपलब्ध राशि से सहायक अनुदान मद में राशि ₹0 36.00 लाख (छत्तीस लाख) का वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- S-11052/27/2015/NRLM(SVEP)/Bihar दिनांक 14.12.2017 के द्वारा एस0भी0ई0पी0 (SVEP) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में समेकित रूप से विमुक्त राशि ₹0 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख) में से सामान्य मद के लिए कर्णांकित राशि ₹0 54.00 लाख (चाँवन लाख) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹0 36.00 लाख (छत्तीस लाख) का आवंटन किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में एन0आर0एल0एम0 योजना के अंतर्गत सामान्य मद में राज्यांश के रूप में बजट उपबंधित राशि ₹0 12273.33 लाख (एक अरब बाईस करोड़ तेहतर लाख तेतीस हजार) के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-313998 दिनांक-16.06.2017 द्वारा राशि ₹0 12273.33 लाख (एक अरब बाईस करोड़ तेहतर लाख तेतीस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृत राशि का पूर्ण रूप से आवंटन किया जा चुका है । पुनः विभागीय पत्रांक 350685 दिनांक 29.01.2018 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि ₹0 10111.00 लाख (एक अरब एक करोड़ ग्यारह लाख) का अतिरिक्त बजट उपबंध किया गया है । इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश के सामान्य मद के लिए संशोधित बजट उपबंधित राशि ₹0 22384.33 लाख (दो अरब तेईस करोड़ चाँरासी लाख तेतीस हजार) है, जिसके आलोक में पूर्व में स्वीकृत राशि ₹0 12273.33 लाख (एक अरब बाईस करोड़ तेहतर लाख तेतीस हजार) के

अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृत्यादेश संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018 द्वारा राशि रू0 10111.00 लाख (एक अरब एक करोड़ आठ लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतएव भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018 द्वारा स्वीकृत राशि में से उपलब्ध राशि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में समेकित रूप से वित्त विभाग राशि रू0 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख) में से सामान्य मद के लिए कर्णांकित राशि रू0 54.00 लाख (पचास लाख) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 36.00 लाख (छत्तीस लाख) का राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2017-18 में आवंटित किया जाता है ।

2. इस राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-356533 दिनांक-26.02.2018 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में अन्तर्गत किया जाता है ।
3. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 ,स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड- 42- 2501061010302 विस्तृत शीर्ष- 31- सहायक अनुदान, विषय शीर्ष 06 - गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है ।
4. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 3873 दिनांक- 12.04.2006 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयोजित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में वित्त विभागीय परिपत्र सं0- 2561वि0(2) दिनांक- 17.06.1998 की कंडिका-2 में निहित प्रावधानों को प्रभावहीन किया गया है । वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 294 दिनांक- 17.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों के अंतर्गत राशि प्रयोग की जायेगी ।
5. इस राशि की निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।
6. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Bihar Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SRLM, Canara Bank, Account No.- 2501010676, IFSC Code- CNRB0008531, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, पटना में जमा कर देंगे ।
7. सहायक कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर संबंधित परियोजना पर व्यय करेंगे तथा उपबोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को उपलब्ध करायेंगे ।
8. सूचना सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधाकिशोर झा)

विशेष सचिव

जापांक _____ पटना, दिनांक _____

महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित

ह0/-

विशेष सचिव

जापांक _____ पटना, दिनांक _____

विषय- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


ह0/-

विशेष सचिव

जापांक 360304 पटना, दिनांक 15/03/18

विषय- श्री अनिता बघेल, निदेशक (आर0एल0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवीं मंजिल सम्राट होटल, वाणक्यपुर्ण, दिल्ली-110021/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना / आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु) प्रमुख संचालिका सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी प्रतिलिपि प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रति- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष सचिव
विभाग